

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्राक-प्रबध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा० / ०६ / 2018-19

दिनांक: 25 जून 2018 ।

### स्थानान्तरण आदेश(स०अ०प्रा०वि०)

(अनुरोध के आधार पर)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-6 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अनुरोध के आधार पर रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	श्रीमती नीरज शर्मा	रा०प्रा०वि० मौहम्मदपुर कुन्हारी	सुगम	बहादराबाद	रा०प्रा०वि० न० 16	सुगम	बहादराबाद	पति-पत्नी की गंभीर बीमारी
02	श्री सोमपाल सिंह	रा०प्रा०वि० धीरमजरी न० 2	सुगम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि० पनियाली	सुगम	रूड़की	पति-पत्नी की गंभीर बीमारी
03	श्री ज्याति सिंह	रा०प्रा०वि० कुडी नैतवाला	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि० सीतापुर	सुगम	बहादराबाद	विक्षिप्त बच्चे के माता-पिता
04	श्री दारा सिंह	रा०प्रा०वि० भौरी	सुगम	रूड़की	रा०प्रा०वि० न०क्षेत्र न० 4	सुगम	बहादराबाद	विक्षिप्त बच्चे के माता-पिता
05	श्रीमती मोनिका त्यागी	रा०प्रा०वि० तासीपुर न० 2	सुगम	रूड़की	रा०प्रा०वि० न० 16	रूड़की	रूड़की	विक्षिप्त बच्चे के माता-पिता
06	श्रीमती सरस्वती कुलाश्री	रा०प्रा०वि० गाधारौना	सुगम	नारसन	रा०प्रा०वि० ढण्डेरा न० 1	सुगम	नारसन	पति-पत्नी
07	श्री दीक्षान्त कुमार	रा०प्रा०वि० खानपुर	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि० इब्राहिमपुर	सुगम	बहादराबाद	पति-पत्नी
08	श्रीमती हेमलता	रा०प्रा०वि० ऐथल बुजुर्ग	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि० रावली महदूद न० 01	सुगम	बहादराबाद	पति-पत्नी
09	श्रीमती सीमा ठाकुर	रा०प्रा० मखियाली कला	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि० न०क्षेत्र न० 16	सुगम	बहादराबाद	तलाकशुदा
10	श्रीमती विजय लक्ष्मी	रा०प्रा०वि० डांडी	सुगम	बहादराबाद	रा०प्रा०वि० न० 17	सुगम	बहादराबाद	विधवा

०६



11	श्रीमती उषा चौहान	रा0प्रा0वि0 चांदपुर	सुगम	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 जगजीतपुर	सुगम	बहादुराबाद	विद्यवा .
12	श्री अक्कीश कुमार	रा0प्रा0वि0 झीवरहेडी	दुर्गम	भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 लामग्रन्ट	दुर्गम	भगवानपुर	दुर्गम से दुर्गम
13	श्री विजेन्द्र कुमार	रा0प्रा0वि0 सुसाडा	दुर्गम	नारसन	रा0प्रा0वि0 खानपुर	दुर्गम	खानपुर	दुर्गम से दुर्गम
14	मौ0 सुल्तान	रा0प्रा0वि0 सुल्तानपुर आदमपुर	सुगम	लक्सर	रा0प्रा0वि0 नंदपुर	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
15	श्रीमती चित्रा सिंह	रा0प्रा0वि0 धीरमाजरा 2	सुगम	भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 तेलपुरा	दुर्गम	भगवानपुर	सुगम से दुर्गम

( ब्रह्म पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।

दिनांक: तदैव ।

पू0-सं0:- प्रबंध राज0बेसिक / 2018-19

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2-जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबन्धित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि व निरकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उप अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा० / 05 / 2018-19

दिनांक 25 जून 2018 ।

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(स०अ०प्रा०वि०) (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-6 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दुर्गम से सुगम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती मीनाक्षी रानी	रा०प्रा०वि० कालेवाला	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि०मंगलौर नगर क्षेत्र नं०-01	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम
2	श्रीमती सरिता कुमारी	रा०प्रा०वि० शहीदवालाग्रन्ट	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि०मण्डावर	सुगम	भगवानपुर	दुर्गम से सुगम
3	श्रीमती अमिता सती	रा०प्रा०वि० तेलपुरा	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि० नगर क्षेत्र नं०-03	सुगम	बहादुराबाद	दुर्गम से सुगम
4	श्री जीतेन्द्र कुमार	रा०प्रा०वि० गोपालपुर	दुर्गम	नारसन	रा०प्रा०वि०नगर क्षेत्र नं०-11	सुगम	रुड़की	दुर्गम से सुगम
5	श्री यशपाल सिंह	रा०प्रा०वि० भिस्तीपुर	दुर्गम	रुड़की	रा०प्रा०वि०अकबरपुर झोझा	सुगम	रुड़की	दुर्गम से सुगम
6	श्रीमती गुरुमत्त कौर	रा०प्रा०वि० निहन्दपुर सुठारी	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि०नगर क्षेत्र नं०-33	सुगम	बहादुराबाद	दुर्गम से सुगम
7	श्रीमती अल्का भार्गव	रा०प्रा०वि० टिकोलाकला	दुर्गम	नारसन	रा०प्रा०वि०नगर क्षेत्र नं०-5	सुगम	रुड़की	दुर्गम से सुगम
8	विजेन्द्र कौर	रा०प्रा०वि०कुमराड़ा	दुर्गम	नारसन	रा०प्रा०वि० रोशनाबाद	सुगम	बहादुराबाद	दुर्गम से सुगम
9	श्रीमती कमला पन्त	रा०प्रा०वि०गांजामजरा	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि०नगर क्षेत्र -5 मंगलौर	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम
10	श्रीमती ममता जोशी	रा०प्रा०वि०गोकुलवाला	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०.वि०नगर क्षेत्र -6 मंगलौर	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम
11	श्रीमती	रा०प्रा०वि०तेलपुरा	दुर्गम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि०	सुगम		दुर्गम से



	यशोवर्धनी पुरोहित				भगवानपुर नं०-2		भगवानपुर	सुगम
12	श्रीमती ममता	रा०प्रा०वि०कासमपुर	दुर्गम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०ब्रहमपुरी	सुगम	बहादुराबाद	दुर्गम से सुगम
13	श्रीमती सुमन	रा०प्रा०वि०कुमराड़ी	दुर्गम	नारसन	रा०प्रा०वि० गदरजुडडा	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम
14	श्रीमती वन्दना आहूजा	रा०प्रा०वि० मखियालीकला	दुर्गम	लक्सर	रा०प्रा०वि० नगर क्षेत्र न०-16	सुगम	रूडकी	दुर्गम से सुगम
15	प्रदीप कुमार	रा०प्रा०वि०खानपुर	दुर्गम	खानपुर	रा०प्रा०वि०लिब्वहेड़ी	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम

( ब्रहम पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।

पृ०-सं०:- प्रबंध राज०बेसिक / 2200-0 / 2018-19

दिनांक: तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2-जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबंधित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्य मुक्त कर दें तथा माह जुलाई -2018 को वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से आहरित करना सुनिश्चित करें ।
- 11-कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा०/०५ /2018-19

दिनांक 25 जून 2018 ।

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(स०अ०प्रा०वि०)  
(सुगम से दुर्गम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-6 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सुगम से दुर्गम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती लक्ष्मी डोढी	रा०प्रा०वि०चौली मुस्लिम बस्ती	सुगम	भगवानपुर	रा०प्रा०वि०हबीबपुर नवादा	दुर्गम	भगवानपुर	सुगम से दुर्गम
2	जीनत प्रवीन	रा०प्रा०वि०पिरान कलियर-1	सुगम	रुड़की	रा०प्रा०वि०राघड़वाला	दुर्गम	रुड़की	सुगम से दुर्गम
3	गीतांजली शर्मा	रा०प्रा०वि०जगजीतपुर	सुगम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०फतवा	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
4	इन्दू ध्यानी	रा०प्रा०वि०हेतमपुर	सुगम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०विहारीनगर	दुर्गम	बहादुराबाद	सुगम से दुर्गम
5	रिहाना परवीन	रा०प्रा०वि०सरकेडीतहारपुर	सुगम	रुड़की	रा०प्रा०वि०घोड़ेवाला	दुर्गम	रुड़की	सुगम से दुर्गम
6	अमिता कटैत	रा०प्रा०वि०सराय	सुगम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०बुक्कनपुर	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
7	शशिकला ध्यानी	रा०प्रा०वि०सुभाषनगर	सुगम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०समसपुर कटेवड	दुर्गम	बहादुराबाद	सुगम से दुर्गम
8	सीमागिरी	रा०प्रा०वि०हेतमपुर	सुगम	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि०लामग्रन्ट	दुर्गम	भगवानपुर	सुगम से दुर्गम
9	आविदावानो	रा०प्रा०वि०पिरानकलियर-1	सुगम	रुड़की	रा०प्रा०वि०राघड़वाला	दुर्गम	रुड़की	सुगम से दुर्गम
10	ममतानागपाल	रा०प्रा०वि०रावलीमहददूद-2	सुगम	नारसन	रा०प्रा०वि०बुक्कनपुर	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
11	मीनाक्षी पुरोहित	रा०प्रा०वि०ढण्डेरा-2	सुगम	नारसन	रा०प्रा०वि०दल्लावाला	दुर्गम	खानपुर	सुगम से दुर्गम



12	उर्मिलाकौल	किसनपुरी	सुगम	रुड़की	रा0प्रा0वि0साबतवाली	दुर्गम	रुड़की	सुगम से दुर्गम
13	मीनाक्षी राठी	रावलीमहदूद-2	सुगम	बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 दल्लावाला	दुर्गम	खानपुर	सुगम से दुर्गम
14	कविता माहेश्वरी	सुभाषनगर	सुगम	बहादराबाद	रा0प्रा0वि0 मुस्लिम कटेवड	दुर्गम	बहादराबाद	सुगम से दुर्गम
15	अत्कारानी	सफरपुर	सुगम	रुड़की	रा0प्रा0वि0 कोटवाल आलमपुर न0 1	दुर्गम	नारसन	सुगम से दुर्गम

( ब्रहम पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।

दिनांक: तदैव ।

पू0-सं0:- प्रबंध राज0बेसिक/287279/2018-19

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।

2-जिलाधिकारी, हरिद्वार

3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।

4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।

5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।

6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।

7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।

8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।

9-संबन्धित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।

10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।

11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।

13-जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर कार्यमुक्त कर दें तथा माह जुलाई -18 का वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से आहरित करना सुनिश्चित करें ।

14-कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा० / ०० / 2018-19

दिनांक: ४ जून 2018 ।

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(स०अ०उ०प्रा०वि०) (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017- देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-7 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दुर्गम से सुगम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क० सं०	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	श्री सुखपाल सिंह	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० इनायतपुर	दुर्गम	भगवानपुर	रा०उ०प्रा०वि० हल्लूमाजरा	सुगम	भगवानपुर	दुर्गम से सुगम
02	श्री मुकेश कुमार	हिंदी	रा०उ०प्रा०वि० तेलपुरा	दुर्गम	भगवानपुर	रा०उ०प्रा०वि० हकीमपुर तुरा	सुगम	भगवानपुर	दुर्गम से सुगम
03	श्रीमती पुष्पा पांडे	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० तेलपुरा	दुर्गम	भगवानपुर	रा०उ०प्रा०वि० धीरमाजरा	सुगम	भगवानपुर	दुर्गम से सुगम
04	श्री राकेश कुमार	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० शेरपुर खेलमऊ	दुर्गम	नारसन	रा०उ०प्रा०वि० विज्ञोली	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम
05	श्रीमती तलत प्रवीन	ऊर्दू	रा०उ०प्रा०वि० अकबरपुर ढाढेकी	दुर्गम	नारसन	रा०उ०प्रा०वि० गदरजुडडा	सुगम	नारसन	दुर्गम से सुगम

( ब्रहम पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।

पृ०-सं०:- प्रबंध राज०बेसिक/ / 2018-19

दिनांक: तदैव ।


प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।  
1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।  
2- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।

०/८



प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2-जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 7 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबन्धित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 7 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-कार्यालय प्रति ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा०/ ४१ /2018-19

दिनांक: १५ जून 2018 ।

### स्थानान्तरण आदेश(स०अ०उ०प्रा०वि०)

(अनुरोध के आधार पर)


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-7 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुरोध के आधार पर रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।


क्र० सं०	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4		6	7	8	9	10
01	श्रीमती नीलम कुमारी	अंग्रेजी	रा०उ०प्रा०वि० कन्या औरंगाबाद	सुगम	बहादरबाद	रा०उ०प्रा०वि० धनपुरा	सुगम	बहादरबाद	स्वयं की गम्भीर बीमारी
02	श्री भरत सिंह बिष्ट	गणित	रा०उ०प्रा०वि० महतौली	दुर्गम	लक्सर	रा०उ०प्रा०वि० भोवापुर	सुगम	बहादराबाद	पति-पत्नी
03	श्रीमती ज्योति सिंह प्रभाकर	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० मोहितपुर	सुगम	भगवानपुर	रा०उ०प्रा०वि० खुब्बनपुर	सुगम	भगवानपुर	पति-पत्नी
04	श्री पाल सिंह	हिंदी	रा०उ०प्रा०वि० बुक्कनपुर	दुर्गम	लक्सर	रा०उ०प्रा०वि० बोंगला	सुगम	बहादराबाद	वरिष्ठ नागरिक
05	श्री ललित नारायण	हिंदी	रा०उ०प्रा०वि० जगजीतपुर	सुगम	बहादराबाद	रा०उ०प्रा०वि० बुक्कनपुर	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
06	श्री सतेन्द्र गोथियाल	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० दल्लावाला	दुर्गम	खानपुर	रा०उ०प्रा०वि० बुक्कनपुर	दुर्गम	लक्सर	दुर्गम से दुर्गम

( ब्रहमपाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।




- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबंधित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13- जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते हैं, उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त कर दें तथा माह जुलाई-1018का वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से निर्गत करना सुनिश्चित करें ।
- 11-कार्यालय प्रति ।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
 हरिद्वार ।





- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त कर दें तथा माह जुलाई -2018 का वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से आहरित करना सुनिश्चित करें ।
- 14-कार्यालय प्रति ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा०/ ११ / 2018-19

दिनांक: 18 जून 2018 ।

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(प्रा०अ०उ०प्रा०वि०) (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-6 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दुर्गम से सुगम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	कार्यरत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	श्री शिवलाल शर्मा	रा०उ०प्रा०वि०नगलास लारू	दुर्गम	नारसन	रा०उ०प्रा०वि० धीरमजरा	सुगम	भगवानपुर	दुर्गम से सुगम
02	श्रीमती सुचिता चौहान	रा०प्रा०वि०सीघडू	दुर्गम	लक्सर	रा०उ०प्रा०वि० इब्राहिमपुर	सुगम	बहादुराबाद	दुर्गम से सुगम

( ब्रहम पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।

पृ०-सं०:- प्रबंध राज०बेसिक/ 2828/35 / 2018-19

दिनांक: तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।

2- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।

3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।

4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।

5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।

6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।

7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा०/ १० /2018-19

दिनांक: 25 जून 2018 ।

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(प्रा०अ०उ०प्रा०वि०)

(सुगम से दुर्गम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-6 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुगम से दुर्गम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	कार्यरत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	श्रीमती शिखा	रा०उ०प्रा०माधोपुर	सुगम	रूड़की	रा०उ०प्रा०वि० बेलंकी	दुर्गम	भगवानपुर	सुगम से दुर्गम

( ब्रहम पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।  
दिनांक: तदैव ।


पृ०-सं०:- प्रबंध राज०बेसिक/ 2921-23 /2018-19

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2-जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबंधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 15 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबन्धित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।



- 5-वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा, हरिद्वार ।
- 6-कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी संबधित विकास खण्ड/जनपद-हरिद्वार ।
- 7-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें ।
- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबधित विकास खण्ड ।
- 9-संबधित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थान्तरण आदेश मे विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते है ,उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उपशिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त कर दें तथा माह जुलाई-2018 का वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से निर्गत करना सुनिश्चित करें ।
- 14-कार्यालय प्रति ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध राज०बेसिक/स्थाना०नियमा०/०१) /2018-19

दिनांक: 25 जून 2018 ।

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश(स०अ०उ०प्रा०वि०) (सुगम से दुर्गम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-12/XXXVI(3)/2017 देहरादून, 05 जनवरी, वर्ष 2018 एवं संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपदीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदनोपरान्त, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्तम्भ-7 में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुगम से दुर्गम रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	श्रेणी	विकास खण्ड का नाम	नियमावली में उल्लेखित कटेगरी जिसके अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	श्रीमती अंजू मेंहदी रत्ता	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० गाजीवाली	सुगम	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० झिडियांनग्रन्ट	दुर्गम	भगवानपुर	सुगम से दुर्गम
02	श्रीमती ज्योति टोलिया	अंग्रेजी	रा०उ०प्रा०वि० रावलीमहदूद	सुगम	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० पीतपुर	दुर्गम	बहादुराबाद	सुगम से दुर्गम
03	श्रीमती रीतू कोंम्बोज	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० भंगेडी	सुगम	रूड़की	रा०उ०प्रा०वि० बालावाली	दुर्गम	खानपुर	सुगम से दुर्गम
04	श्रीमती रागिनी गुप्ता	हिंदी	रा०उ०प्रा०वि० गाजीवाली	सुगम	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० बालावाली	दुर्गम	खानपुर	सुगम से दुर्गम
05	श्रीमती उषा देवी	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० धनपुरा	सुगम	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० फतवा	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम
06	श्रीमती दीपमाला	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० सराय	सुगम	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० महतोली	दुर्गम	लक्सर	सुगम से दुर्गम

( ब्रह्म पाल सिंह )  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
हरिद्वार ।

पृ०-सं०:- प्रबंध राज०बेसिक/ 2896904 /2018-19

दिनांक: तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 4-सहाय शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ।



- 8-उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड ।
- 9-संबंधित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार संबंधित शिक्षक को समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें ।
- 10-सम्बन्धित अध्यापक को दिनांक 07जुलाई 2018 तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें अन्यथा की स्थिति का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।
- 11-यदि स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 12-स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थान्तरण आदेश मे विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा ।
- 13-जो अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते है,उन्हें सम्बन्धित विकास क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त कर दें तथा माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती विद्यालय से निर्गत करना सुनिश्चित करें ।
- 14-कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
हरिद्वार ।